

Date: June 15, 2023

**To,
BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001**

Dear Sir,

Subject: Newspaper Advertisement – Notice of the Extra Ordinary General Meeting

In terms of Regulation 47 to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended from time to time, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published for the notice of the Extra Ordinary General Meeting scheduled to be held on Saturday, July 08, 2023, at 03:00 P.M, in the following newspapers:

1. Financial Express
2. Jansatta

This is for your information and records.

For PTC Industries Limited

**Smita Agarwal
Director and CFO
DIN: 00276903**

Place: Lucknow

Enclosure: as above

जनसत्ता क्लासीफाईड

PUBLIC NOTICE

MAY IT BE KNOWN TO GENERAL PUBLIC NOTICE THAT my client Shri Deepinder Singh Bindra S/O Sh. T.S.Bindra, Resident of 173, 2nd Floor, National Media Centre, DLF Phase-3, NH-8, Opp. Shankar Chowk, Gurgaon do hereby sever his social relations and do hereby wife Daljit Kaur Bindra and his children namely Sahaj Singh Bindra and Saaveen Bindra from all his movable property and immovable properties since they are disobedient, disrespectful and not under his commands and also disrespectful towards him and other family members. Whosoever will deal with them will do so at his/her own risk, cost and consequences. My clients will not be liable & responsible for any of their acts, deeds and transactions etc.

R.S. SAHNI (Advocate)
S-395, LGF, G.K.-1, NEW DELHI-48

PUBLIC NOTICE

Re: Entire First Floor, without roof rights alongwith 25% share in existing "Said Road" built on Eastern Portion bearing No. 14-A (Mpl. No.14A/73), area measuring 544.45 sq. yds, "said portion" part of Property No.14, total area 1088.85 sq. yds. in Class-B, on Road No.173, situated in the approved colony known as Punjabi Bagh (West), in the revenue estate of Village Bassai Darapur, Delhi State, Delhi-110026; hereinafter referred to as "said property". Be it known to all that our clientless, Mrs. Sampda Datta W/o Mr. Chandier Prakash Datta I/Ro B-3/156 Paschim Vihar West Delhi 110063 (hereinafter called the "Purchaser") intends to purchase the said Road from Mrs. Kavita Aggarwal W/o Mr. Sudhir Aggarwal, Kothi No. 19 First Floor A-3 Block Paschim Vihar West Delhi 110063 (40% of undivided share) and Mrs Madhu Gang W/o Mr. Pawan Gupta, House No. 13, Upper Ground Floor, Road No.7, Punjabi Bagh, Delhi-110026 (60% of undivided share) (hereinafter called the "Seller"). In this connection, the seller has informed the purchaser that she and there are the joint owners of the said floor in favour of Mrs. Ramji Vij and in favour of Mrs. Kavita Aggarwal (40% undivided share) and Mrs. Madhu Gang (60% undivided share) and that said "said property" is registered as Document No. 1577 in Book No. 1, Volume No. 4838, pages 1-20, registered on 10.03.2023 in respect of First floor. The seller further informs the purchaser that the said said property was owned by Shri Ram Nath Vij and upon his death and death of his wife, the property devolved on their legal heirs viz., Mr. Subhash Vij, Balkishan Vij (sons) and Mrs. Neelam Bhola, Mrs. Usha Sarai, Mrs. Rama Segal (daughters). Thereafter, Mrs. Neelam Bhola, Mrs.Usha Sarai, Mrs. Rama Segal executed an Affidavit/NOC in favour of Mr. Subhash Vij (son) and Mrs. Balkishan Vij. Thereupon a Partition Deed registered as Document No. 23811 was executed between Subhash Vij and Mr Balkishan and as per Partition Deed, the Eastern Portion of the said property was to the share of Subhash Vij. Upon the death of Mr. Subhash Vij and his wife, the said portion of the said property was inherited by their legal heirs namely Ms. Mfu Vij and Ranjeet Vij. Ms. Mfu Vij relinquished her undivided 1/2 share in the said portion of the said property in favour of Ramji Vij vide Relinquishment Deed registered as Document No.5084 on 21.07.2002. Thus, Mr. Ramji Vij became absolute owner of the said portion of the said property and executed a sale deed in favour of seller. The seller has also informed the purchaser that the said Road is not mortgaged anywhere and there is no charge or dispute or any litigation pending regarding the said Road. Any person including Banks, Financial Institutions, relatives having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the aforesaid Road is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 10 days of publication of this notice and in the event of no response having been received to the notice, the title of the seller to the said Road shall be deemed to be clear of any charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequent claim shall not bind our client/Purchaser in any manner whatsoever.

Any person including Banks, Financial Institutions, relatives having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the aforesaid Road is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 10 days of publication of this notice and in the event of no response having been received to the notice, the title of the seller to the said Road shall be deemed to be clear of any charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequent claim shall not bind our client/Purchaser in any manner whatsoever.

Amik Kumar Khurana, Advocate,
For his Institutional Offices,
A-74, Lower Ground Floor,
Defence Colony, New Delhi-110024

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघिलित)

सीआरईएन: एल68110टीएए2014पीएलसी087792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएएम टॉवरस, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031, दूरभाष : 91 44 4564 4000, फ़ैक्स : 91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोस्तथास्तरका ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघिलित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 01-06-2021 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ताओं और गारंटर्स 1. रशीद इकरामुद्दीन, 2. दिलरुबा मोह, यूसुफ, को सूचना में अंकित राशि रु. 14,00,269.46 (रुपये चौदह लाख दो सौ उन्हत्तराए एवं छियासठि पैसे मात्र) के अनुसार देय, का उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर, प्रतिभूतगान करने को कहा गया था।

सूचि ऋणकर्ता/गारंटर बिनाहिश बकाया राशि का प्रतिभूतगान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोस्तथास्तरका ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 8 जून 2023 को, भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई वृष्ठी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 14,00,269.46 (रुपये चौदह लाख दो सौ उन्हत्तराए एवं छियासठि पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघिलित) के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आर्मांत्रित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र माप 100 वर्ग गज है, जो खसरा सं. 512 में से, ग्राम पावी सादत पुर, पावी सादतपुर की आबादी, लोनी, जमगढ़ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है: पूर्व- सड़क 20 फुट चौड़ी, उत्तर- अन्य की संपत्ति, पश्चिम- गली 10 फुट चौड़ी, दक्षिण- अन्य की संपत्ति।

दिनांक : 8-जून-2023

स्थान : गजियाबाद

ऋण खाता सं.: 14541949

प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघिलित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघिलित)

सीआरईएन: एल68110टीएए2014पीएलसी087792

पंजीकृत कार्यालय : केआरएएम टॉवरस, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031, दूरभाष : 91 44 4564 4000, फ़ैक्स : 91 44 4564 4022



परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोस्तथास्तरका ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघिे लित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 01-02-2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ताओं और गारंटर्स 1. शशि नंदन ए. 2. मुसुला कुमारी, को सूचना में अंकित राशि रु. 16,83,086.97 (रुपये सोलह लाख सिरसी हजार छियासी एवं सत्तानवे पैसे मात्र), 3।-01-2023 के अनुसार देय, का उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर, प्रतिभूतगान करने को कहा गया था।

सूचि ऋणकर्ता/गारंटर बिनाहिश बकाया राशि का प्रतिभूतगान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोस्तथास्तरका ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 13 जून 2023 को, सांकेतिक अधिग्रहण कर दिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व वृष्ठी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 16,83,086.97 (रुपये सोलह लाख सिरसी हजार छियासी एवं सत्तानवे पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघिलित) के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आर्मांत्रित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

भूमि के भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र माप 107 वर्ग गज है, जो खेराट/खाता सं. 160/193, एमयू. नं. 58, किला नं. 22/22/1(1)-16), एमयू. नं. 61, किला नं. 1/1(7-14), 2/1/1(2-4), 10/1/1(2-4), बंका सिवान, मौजौ ममरौला, तहसील इस्सरक, जमगढ़ जिल्ला, हरियाणा में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है: पूर्व- अन्य का भूखंड, पश्चिम- अन्य का भूखंड, उत्तर- सरता 18 फुट चौड़ा, दक्षिण- अन्य का भूखंड।

दिनांक : 13-जून-2023

स्थान : गुडग्राम

ऋण खाता सं.: 30452727 एवं 33660513

प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संघिलित)

"IMPORTANT"

whilst care is taken prior to acceptance or advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 09, सायनप्रीत केंद्र, बस्तौ लोक, बस्तौ बिहार, नई दिल्ली - 110057
फोन: 011 49267000, हेरोल की नंबर 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@herohfi.com
वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, सीआरईएन: CUS192D12016PLC30148

संकेत पता:- पटन सड़क 27, दूसरी मील, सायनप्रीत केंद्र, बस्तौलोक, बस्तौ बिहार, नई दिल्ली- 110057

ऋण खाता संख्या	कनवर्क/डी/कानूनी कार्रवाईकर्ता/व्यक्ति अधिनियमों का नाम	मूल भुजरा की तिथि/मूल के अनुसार तिथि	उत्तर- शक्ति (समयवश / शक्ति)
H#FDELLAP18000000069, H#FNSPLAP21000015375 & H#FNSPLAP22000029430	कानूनी कार्य, उक्त, विवरणित अंश	16/04/2023, 10/04/2023 के अनुसार एवं 3/14/2023/2	14/08/2023 (प्रतिभूतगान)
प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: प्लॉट नं. 24 पर निर्मित, बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल, बिना उक्त अधिकार के, ब्लॉक-19-पुनरा राखेद नगर, नई दिल्ली-110080 (जिसका क्षेत्रफल 88.1 वर्ग गज है। चौहद्दी : उत्तर-सर्पति संख्या 18/23, पूर्व-गली, दक्षिण- बड़क, पश्चिम- गली, दिनांक: 16-08-2023, खान- दिल्ली/एनडीआर हला)-ओड्डुगु अधिकारी, कुंठे हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड			

कार्यालय: वसुली अधिकाारी-II

ऋण वसुली अधिकरण, देहादून

पापल टावर, 2रा तल, भागत निरंजपुर, सहगणपुर रोड, देहरादून
ऋणों की वसुली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 के साथ पठित अन्य कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के अंतर्गत बिक्री उद्योगोंका निष्पात करने के लिये सूचना
07.06.2023 दिनांक: 1404/2018
07.06.2023 दिनांक: 1404/2018

अधोस्तथास्तर बैंक लि. बनाम मै. शुभम फौड इंडस्ट्रीज एवं अन्य

सेवा में

संीडी: 1. मै. शुभम फौड इंडस्ट्रीज, एक प्रॉप्राइटर प्रतियोग, द्वारा उसके प्रॉप्राइटर, श्री कान्ता प्रसाद, ग्राम खानपुर पूर्व, काशीपुर रोड, तहसील गलतपुर, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-263153, दूसरा पता: प्लॉट नं. 5, निकट अदरिया मीटर, रुद्रपुर, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-263153
संीडी: 2. कान्ता प्रसाद, पुत्र श्री राम सिंह (प्राप: मै. शुभम फौड इंडस्ट्रीज), निवासी: 789, जगतपुर, निकट अदरिया मीटर, रुद्रपुर, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-263153
संीडी: 3. श्रीमती सुनीता सिंह, पत्नी श्री कान्ता प्रसाद, निवासी: 789, जगतपुर, निकट अदरिया मीटर, रुद्रपुर, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-263153

..... प्रमाणपत्र देहदून

जैसा कि वसुली अधिनियम, देहरादून के पीठाधीन अधिकारी द्वारा औप/2004/2018 में वसुली को प्रमाणपत्र तिथि 5.11.2018 जारी कर मै. शुभम फौड इंडस्ट्रीज एवं अन्य को और, दायित्व करने की तिथि जो 13.07.2018 है, से विनिवर्तन तथा रिकूप्सिंग बलैस पट 12.00% प्रति वर्ष को समाधान कर पर आप के ब्याज के साथ रु.27,70,837.45 पैसे (रु. सत्ताइस लाख सत्तर हजार आठ सौ सैतस पैसे बालैतस मात्र) की गणना का आवेदक बैंक (को)/वित्तीय संस्थान (नं.) आवेदक का नाम, को भुगतान करने का आदेश दिया गया वा जिसके साथ उन्हे रु.1,01,000.00 (रु. एक लाख एक हजार मात्र) की लगतों के भुगतान की भी निर्देश दिया गया वा तथा जैसा कि उक्त भुगतान नहीं किया गया, अतः अधोस्तथास्तर ने नीचे वर्णित अवल/अवयल समयत की बिक्री का आदेश दिया है।
2. एतद्वारा आपका सूचित किया जाता है कि बिक्री उद्योगोंका वैधता करने तथा उसके नियमों एवं शर्तों को निष्पात करने के लिये 6.7.2023 को 10.30 बजे पूर्वा. की तिथि एवं समय निर्धारित की गई है। आप से अनुरोध है कि उक्त सम्यति अवकाश उत्तरने किसी मात्र से जुड़ी कोई अधिभार, चांर्जेज, दावे अथवा देवनामें हो तो उससे अधोस्तथास्तर को अवगत करें।

सम्यति का विनिर्देशन

ग्राम-जगतपुर, परगना-रुद्रपुर, तहसील कच्छा, जिला ऊधम सिंह नगर, राज्य-उत्तराखंड में स्थित सम्यति (भूमि एवं भवन) जिसका खाता नं.-102, खेत नं.-113/11 मिन है।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुरत लगाकर दिनांक 7.6.2023 को दी गई।

जनसत्ता

15 जून, 2023

15

ऋण वसुली अधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)	
1वा तल, एससीओ-33-34-45, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़ (अ एवं 4वे तल पर भी स्थान आवंटित)	
मासिक सं.: औप/1868/2022	
ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समया	स्विच. नं.: 18352
पुनियन बैंक ऑफ इंडिया	
बनाम	
मै. साशोरी इंडस्ट्रीज एवं अन्य	
सेवा में,	
4) श्रीमती अनीता बजाज, पत्नी स्व. श्री रमेश कुमार बजाज मकान सं. 975सी27, लेन नं. 11, मदनपुरी, मुकुंदगढ़, हरियाणा साख डी: ब्लैटस की 108, ओमिका पेनरामा सिटी, पिबवाडी, अलवर, राजस्थान	
समयान	
जैसा के औप/1868/2022 दिनांक 20.5.2023 को माननीय पीठाधीन अधिकारी/चिट्ठादार के समक्ष सुचीकृत किया गया था।	
जैसा कि माननीय अधिकरण नं. 10144092.25 के ऋणों की वसुली के लिए दायित्व (औप) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर सम्मान/सूचना सहर्ष ग्रहीत किए है। (रहावेतमें आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)	
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार प्रतिवादीयों को निम्न निर्देश दिया जाता है।	
i) समया को सविन के तैयार दिनों के भीतर वह कारण देहतायें की योगी गई रहतीं को खू न स्वीकार को जाए	
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्यतियों तथा परिसंयम्यतियों के अतिरिक्त सम्यति या परिसंयम्यतियों के विवरणों की उद्घाटित करना	
iii) सम्यतियों के एटैचमेंट के लिए आवेदन को सुनवाई तथा निपटारे के ताम्यत्र होने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्यतियें अथवा प्रतिपुत्र परिसंयम्यतियों का व्यवसाय वा निपटारा करने से आपको बंधित किया जाता है।	
iv) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सम्यत्र प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिस्थितियों बिना पर प्रतिभूति हित निर्मित है एवं/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत निर्दिष्ट वा उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों वा सम्यतियों का बिक्री, पट्टा वा अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे।	
v) आप प्रतिपुत्र परिसंयम्यतियों वा व्यवसाय की सम्यत्र प्रक्रिया में अन्य परिसंयम्यतियों तथा सम्यतियों अथवा प्रतिपुत्र परिसंयम्यतियों की बिक्री द्वारा रकबाई की गई बिक्री रहित का स्वीर देने तथा ऐसी परिस्थितियों पर प्रतिभूति हित धारित करने वाले बैंक वा वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खता में उक्त बिक्री यहाँ जमा करने के लिए दायरगीयों होगे।	
आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप निर्दिष्टन स्पष्टीकरण नें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तुत करें तथा 24.7.2023 को 10.30 को पूर्वा. में चिट्ठादार के समक्ष दर्जकीयें हों, अन्यथा आवेदन को सुनवाई तथा निविद आपकी अनुमतिमें में की जाएगी।	
मेरे हाथ में तथा अधिकरण की मुरत लगाकर आज दिनांक 06.06.2023 को दी गई।	
समया जारी करने के लिये अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर	

<div>साकेत शाखा : यगा बॉमंस एसोसिएशन</div> <div>होटल बिल्डिंग, एवेन्यू-21, साकेत, नई दिल्ली110017</div> <div>फोन : +91-28886065-66, 26850589</div>	
भौतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और प्लॉट एवं मशीनरी हेतु)	
जबकि, अधोस्तथास्तर ने, बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 29-09-2022 जारी की थी, जिसमें कर्जदार/बंधकदाता श्री मोहित कुमार अरोड़ा एवं श्रीमती रुचि डावर से सूचना में वर्णितानुसार 29-09-2022 तक बकाया राशि रु. 1,08,55,703.11 (रुपए एक करोड़ आठ लाख पचपन हजार सात सौ तीन तथा पैसे ग्यारह मात्र) + 30-09-2022 से आगे ब्याज, अनुचर्ची खर्चों, लागत, प्रमारों का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने की मांग की गई थी।	
कर्जदार/बंधकदाता उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार/बंधकदाताओं और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोस्तथास्तर ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा 13 जून, 2023 को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/बंधकदाताओं तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संयवहार बैंक ऑफ इंडिया की 29-09-2022 तक बकाया राशि रु. 1,08,55,703.11 (रुपए एक करोड़ आठ लाख पचपन हजार सात सौ तीन तथा पैसे ग्यारह मात्र) + उस पर आगे ब्याज, लागत, खर्चों को चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।	
कर्जदार/गाररक का ध्यान, प्रत्यभूत आस्तियों को छुड़ाने का लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।	
अचल सम्पत्ति का वणन	
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : श्रीमती रुचि डावर पत्नी श्री मोहित कुमार अरोड़ा द्वारा स्वाधिकृत प्लॉट नं.सी-2374 पर भूमि एवं भवन, ब्लॉक-सी, पुरांत लोक, फेज-1, ग्राम सरहौल, चक्करपुर, सलोखड़ा, कन्हाई एवं वजीराबाद, तहसील और जिला गुरुग्राम, हरियाणा (परिमाण 54.32 वर्ग मीटर यानी 64.96 वर्ग गज)।	
सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नानुसार है :	
पूर्व : प्लॉट नंबर सी-2373	पश्चिम : प्लॉट नंबर सी-2375
उत्तर : रोड	दक्षिण : प्लॉट नंबर सी-2345
तिथि : 13-06-2023	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गुरुग्राम	बैंक ऑफ इंडिया

<div>   </div>				
मंडल कार्यालय-1-2, रघुनाथनगर, द्वितीय तल, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा				
चल /अचल सम्पत्तियों का कब्जा सूचना				
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)				
<p>वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ सहस्रित धारा-13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित बकायदार ऋणियों / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्मुख अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्वारा आम जनता को एवं ऋणियों / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों का उपरोक्त अधिनियम की धारा-13 (4) एवं नियम के उपनियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्तथास्तरों द्वारा अधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उपारकर्ताओं का ध्यान सूरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्राधान्य की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्वारा ऋणियों / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि बृष्ति सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा / भौतिक कब्जा अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा /व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा /व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अन्वयाधीन होगा। ऋणियों / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों का ध्यान, एकट के सेवशन-13 के सब सेवशन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि ये उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर बंधक सम्पत्तियों को वापिस छुड़ा लें।</p>				
क्र. सं।	ऋणियों / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं के नाम व हाथों का नाम	मूल भुजरा दिनांक	कब्जा दिनांक	मूल भुजरा के अनुसार कब्जा धारणी
1.	(ऋणी / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं)-श्री रमेश चन्द राखत पुत्र श्री विश्वापाल राखत और श्री रंजिता कुमार गौतम पुत्र श्री ओम प्रकाश गौतम खाता नं० 0200009900000044 & 0200000C00000715	30.06.2023	09.06.2023	रु. 34,95,417.08 + ब्याज व अन्य खर्च तथा दिनांक 01.01.2023 से भविष्य के देय खर्च
	शाखा-हाथरस मैन			
2.	(ऋणी / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं)-श्री चेतन वाष्ण्य पुत्र श्री सुरेश चन्द वाष्ण्य, श्रीमती श्रीनेश कुमारी (श्रीनेश वाष्ण्य) पत्नी रम्य श्री सुरेश चन्द शर्मा और श्रीमती श्रीनेश वाष्ण्य पत्नी रम्य श्री सुरेश चन्द वाष्ण्य खाता नं० 020000930000048798	30.06.2023	09.06.2023	रु. 34,95,417.08 + ब्याज व अन्य खर्च तथा दिनांक 01.01.2023 से भविष्य के देय खर्च
	शाखा-हाथरस सिटी, हाथरस			
3.	(ऋणी / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं)-नेत्रपाल सिंह पुत्र सुनहरी लाल, मीना देवी पत्नी नेत्रपाल सिंह। खाता नं० 1569605600000025	30.06.2023	09.06.2023	रु. 34,95,417.08 + ब्याज व अन्य खर्च तथा दिनांक 01.01.2023 से भविष्य के देय खर्च
	शाखा-एटा (पूर्व में ओबीसी)			
4.	(ऋणी / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं)-रत्नेश यादव पत्नी राजेश यादव (गारन्टर) राजेश यादव पुत्र राम निवास यादव। खाता नं० 156960150005215	30.06.2023	09.06.2023	रु. 34,95,417.08 + ब्याज व अन्य खर्च तथा दिनांक 01.01.2023 से भविष्य के देय खर्च
	शाखा-एटा (पूर्व में ओबीसी)			
5.	(ऋणी / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं)-देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप, अनिता सिंह पत्नी देवेन्द्र प्रताप सिंह। (खाता नं० 1967300520016-1967300000435)	30.06.2023	09.06.2023	रु. 34,95,417.08 + ब्याज व अन्य खर्च तथा दिनांक 01.01.2023 से भविष्य के देय खर्च
	शाखा-एटा (पूर्व में ओबीसी)			
6.	(ऋणी / गारन्टर्स / बंधककर्ताओं)-मंसूर राकेश कुमार कोन्देवर (गारन्टर)-राकेश कुमार पुत्र हेतार सिंह, राम कुमार पत्नी अजब सिंह (खाता नं० 15705011000194)	30.06.2023	09.06.2023	रु. 34,95,417.08 + ब्याज व अन्य खर्च तथा दिनांक 01.01.2023 से भविष्य के देय खर्च
	शाखा-एटा (पूर्व में ओबीसी)			
स्थान-आगरा				